रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092021-229499 CG-DL-E-08092021-229499

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385] No. 385] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 8, 2021/भाद्र 17, 1943

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2021/BHADRA 17, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018 (पी-3270).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (छ) के साथ पठित धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाएगा।
- (2) ये राजपत्र में इनकी प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) के विनियमन, 2007 के विनियम 3 में दी गई तालिका में.
- i) क्रम सं0 5 के बाद निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :-

य दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति 50 /- प्रति पृष्ठ	5 क.	
---	------	--

4988 GI/2021 (1)

ii) क्रमांक 10 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

10.	उपयुक्त टी4एस, आईएमएस और ईआरडीएमपी विनियमों के अंतर्गत निरीक्षण/संपरीक्षाओं/प्रमाणीकरण संचालन के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी (टीपीआईए) को सूची में सम्मिलित करना इत्यादि –	
	(टी4एस, आईएमएस और ईआरडीएमपी विनियमों के अंतर्गत सूची में सम्मिलित करने हेतु शुल्क अलग से है)	
	(ক) प्रथम वर्ष	1,00,000
	(ख) आगामी वर्ष	50,000

वन्दना शर्मा. सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा,/248/2021-22]

पाद टिप्पणी: प्रमुख विनियमों में सा सां.नि. 732 (ई), दिनांक 26-11-2007, और संशोधित सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 07-06-2010, फ़ा. सं. विधिक/50/2013 दिनांक 21-06-2013, फ़ा. सं. पीएनजीआरबी/वि एवं वा/संशोधित पीएनजीआरबी विनियम दिनांक 08-01-2019, फ़ा. सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी (1)/2018 दिनांक 14-05-2020 और फ़ा. सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018(पी-836) दिनांक 28-09-2020 को अधिसुचित किया गया।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2021

No. PNGRB/Fin/8-OC (2)/2018 (P-3270).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 read with clause (g) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely:—

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2.** In the table given in regulation 3 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007,
- i. after sr. no. 5, the following shall be inserted: -

5A.	Certified copy of any other document	50/- per page

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

ii. S.No.10 shall be substituted by the following: -

10.	Empanelment of Third Party Inspection Agency (TPIA) for conducting inspections/ audits/ certifications under relevant T4S, IMS and ERDMP regulations etc –	
	(The fee is separate for empanelment under T4S, IMS & ERDMP Regulations)	
	(a) First Year	1,00,000
	(b) Subsequent years	50,000

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./248/2021-22]

Foot Note: The Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 732 (E), dated 26th November, 2007 and amended vide G.S.R. 477 (E), dated 7th June, 2010, F. No. Legal/50/2013 dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations, dated 8th January, 2019, F. No. PNGRB/Fin./8-OC (1)/2018 dated 14th May, 2020 and F. No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-836) dated 28th September, 2020.